संख्या–912 / 12–3–11–100(8) / 2010

प्रेषक

क्षेत्रपाल,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांकः 13 अप्रैल, 2011**

विषयः राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की योजनाओं के लिए धनराशि रू0–100000 हजार की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्रांक–भू.सं. / 28 / रा.कृ.वि.यो. / लेखा–10 / 2011–12, दिनांक 12.04.2011 के संदर्भ में व शासनादेश संख्या–843 / 12–3–11–100(8) / 2010, दिनांक 09.04.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष–2011–12 के आय–व्ययक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत लघु सिंचाई विभाग परियोजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष की निम्न तालिका के अनुसार कुल रू0 100000 हजार (रू0 दस करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री सज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र. सं.	मानक मद अनुदान संख्या–11 के लेखा शीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–13 लघु सिंचाई की योजनायें के अन्तर्गत।	प्राविधान 2011–12	पूर्व स्वीकृत धनराशि	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति Minor Irrigation works-Deep Booring Medium Deep Tub-well & Dr. Ambedkar Tub-well
1	2	3	4	5
1	27–सब्सिडी	450000	200000	100000
	योग	**450000**	**200000**	**100000**

(रू0 दस करोड़ मात्र)

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या–843 / 12–3–11–100 (8) / 2010, दिनांक 9.4.2011 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0–200000 हजार (रू0 बीस करोड़ मात्र) के व्यय के उपरान्त सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा। दूसरी किश्त का आहरण प्रथम किश्त के 75% व्यय होने के उपरान्त किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव / अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों / गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय–व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

5- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

6- उपर्युक्त तालिका पर अंकित योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

7- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय व्ययक के अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक-2401- फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-13 लघु सिंचाई की योजनाओं के अन्तर्गत मानक मद-27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

8 यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी0-1- 901/दस 2011 231/2011, दिनांक 21.3.2011 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव।

सं0-912 (1)/12-3-2011-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2 महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।
10- वित्त नियंत्रक, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
13- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव।